संख्या–1328/62–2–2008–2/3(32)/2007 टी0सी0–III

प्रेषक,

मनोज कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2008

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्न्तगत स्वीकृत सामूदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की नई योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में नौ जनपदों के 41 विकास खण्ड पठारी/अर्द्धपठारी (राकी/सेमी राकी) है। इन विकास खण्डों में सामान्यतः नलकूप सफल नही होते है और कृषकों को ब्लास्ट कूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ब्लास्ट कूप की लागत अत्यधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कृषक इन कूपों का निर्माण अपने संसाधनों से नही कर पाते है और सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा 41 पठारी/अर्द्धपठारी विकास खण्डों में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण की रू0 6666.20 लाख की योजना तैयार कर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (RIDF) से वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत की गयी। योजना पर विचारोपरान्त नाबार्ड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सर्वप्रथम एक जनपद में योजना संचालित कर उसके परिणाम देख लिए जाये। इसके कम में विभाग द्वारा महोबा जनपद हेतु योजना तैयार कर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त रू01374.59 लाख की योजना नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु भेजी गयी। नाबार्ड द्वारा योजना की कुल लागत रू0 1570.94 लाख स्वीकृत की गयी है, जिसमें रू0 1305.86 लाख नाबार्ड का अंश (नाबार्ड से ऋण) तथा रू0 265.08 लाख राज्य सरकार का अंश है। राज्य सरकार के अंश में रू0 196.35 लाख की धनराशि स्प्रिंकलर/रेनगन सिस्टम की स्थापना हेतु जल उपभोक्ता समूह/लाभार्थियों

को योगदान से सम्बन्धित है। इस प्रकार वास्तव में योजना की कुल लागत रू0 1374.59 लाख तथा राज्य सरकार का अंश मात्र रू0 68.73 लाख ही है।

प्रश्नगत सामूदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्वार की योजना का कियान्वयन निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा :–

1. <u>योजना का उद्देश्य</u>

(1) प्रस्तावित क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि करना।
(2) ग्रीष्म ऋतु में सीमित सिंचाई के साथ अन्य आवश्यकताओं हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
(3) सामुदायिक ब्लास्ट कूपों का निर्माण/जीर्णोद्धार करने हेतु सामुदायिक–भागीदारी को बढावा देना।
(4) गरीबी उन्मूलन हेतु उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाना।

2– <u>योजना का प्रस्तावित क्षेत्र कार्य लाभ एवं कुल लागत</u>

योजना का कियान्वयन महोबा जनपद के पठारी क्षेत्रों, जहाँ स्ट्रेटा अत्यन्त कठिन एवं नलकूप निर्माण के लिए अनुपयुक्त है एवं भूमि की जल रिसाव क्षमता अत्यन्त कम है, में प्रस्तावित है। योजना के अर्न्तगत बड़े व्यास के ब्लास्ट कूपों का निर्माण तथा पूर्व से उपलब्ध कूपों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। योजना में जनपद महोबा के 4 विकास खण्ड यथा कबरई, जैतपुर, चरखारी एवं पनवाड़ी में क्रमशः 90, 110, 75 व 25 कुल 300 सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण एवं 140, 140, 15 व 0 कुल 295 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। योजना क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक ब्लास्ट कूप से लगभग 3 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी तथा पूरी योजना से 1785 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन में सहायता, जीवन स्तर में सुधार तथा पठारी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन रोकने में सफलता मिलेगी। योजनान्तर्गत पानी की बचत एवं अतिरिक्त उत्पादन हेतु रेनगन/स्प्रिंकलर सेट का भी प्राविधान किया गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 32000/– अनुदान तथा 50 प्रतिशत कृषक अंशदान होगा। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु ट्रेनिंग एवं क्षमता निर्माण का भी कार्य प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का लागत लाभ अनुपात 1:1.60 आकलित किया गया है।

प्रस्तावित योजना की कुल लागत का मदवार विवरण निम्नवत् है:—

1—595 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की लागत निर्माण		
(अ)300 सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण की लागत	रू0 888.00	लाख
(ब)295 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के जीर्णोद्धार की	रू0 289.10	लाख लागत
2—595 रेनगन/स्प्रिंकलर सेट स्थापना हेतु अनुदान	रू0 190.40	लाख
3—जियोफिजिकल सर्वेक्षण (स्थल चयन) की लागत	रू0 1.19	लाख
4—सामुदायिक क्षमता सम्वर्धन की (ट्रेनिंग) लागत	रू0 5.90	लाख
योगः—	रू0 1374.59	लाख

3— वित्तीय व्यवस्था

नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की गाइड लाइन्स के अनुसार स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत का 95 प्रतिशत धनराशि नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में तथा 05 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार योजना की कुल निर्धारित लागत रू01374.59 लाख में रू01305.86 लाख नाबार्ड का अंश (ऋण करोड़ रू0में) तथा रू0 68.73 लाख राज्य सरकार का अंश होगा।

5— प्रोजेक्ट अवधि एवं वर्षवार कार्यो का विवरण

प्रोजेक्ट की प्रस्तावित अवधि तीन वर्षो (वर्ष 2007—08 से 2009—2010 तक) की है। वर्षवार प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्नवत् है :—

कम सं0	वित्तीय वर्ष	नये ब्लास्ट कूपों का निर्माण	पुराने ब्लास्ट कूपों का जीर्णोद्धार
1—	2007—08	100	100
2—	2008—09	100	100
3—	2009—10	100	95
	योगः—	300	295

6— अनुमन्य अनुदान

योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित अनुदान निम्नवत् है:—

(अ)— योजना के अर्न्तगत गठित जल उपभोक्ता समूहों हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूप का निर्माण/जीर्णोद्धार, शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ब) यदि समूह अथवा समूह का कोई सदस्य स्प्रिंकलर/रेनगन सिस्टम स्थापित करना चाहता है तो समूह अथवा समूह के सदस्य को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 32000.00(रूपया बत्तीस हजार मात्र) प्रति इकाई अनुदान अनुमन्य होगा। एक ब्लास्ट वेल के साथ एक स्प्रिंकलर/रेनगन सिस्टम हेतु ही अनुदान देय होगा। स्प्रिंकलर/रेनगन

सिस्टम लेने हेतु समूह को पहले अवसर दिया जायेगा और समूह द्वारा इसे लेने हेतु अनिच्छा व्यक्त करने की स्थिति में ही समूह के किसी एक सदस्य को इसका अवसर दिया जायेगा। कई सदस्यों द्वारा स्प्रिंकलर/रेनगन सेट लेने हेतु इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में सामान्य प्रचलित सिद्धान्त अपनाते हुए सबसे पहले प्रार्थना पत्र देने वाले सदस्य का चयन किया जायेगा।

समूह के किसी एक सदस्य द्वारा स्प्रिंकलर/रेनगन सेट लिए जाने की दशा में यह सदस्य विशेष की सम्पत्ति होगी, क्योंकि 50प्रतिशत धनराशि उसके द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। यदि यह सदस्य समूह के अन्य सदस्यों को स्प्रिंकलर सेट प्रयोग करने की अनुमति देता है तो इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

6– <u>प्रोजेक्ट का कियान्वयन</u>

योजना प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल उपभोक्ता समूह, ग्राम पंचायत तथा भूगर्भ जल विभाग के सहयोग से किया जायेगा। योजना के कियान्वयन के समबन्ध में प्रस्तावित व्यवस्था निम्नवत् है:–

(i)– <u>जल उपभोक्ता समूहों का गठन</u>

जनपद महोबा के पठारी क्षेत्रों में जहां पर जल की उपलब्धता कम तथा संसाधन निर्माण लागत बहुत अधिक है, जल उपभोक्ता समूहों को सामुदायिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के पूर्ण होने के पश्चात इसका रखरखाव जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु जल उपभोक्ता समूहों का गठन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :–

(1) एक समूह में न्यूनतम 5 सदस्य होंगे जो कृषि से जुड़े हों।

(2) सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक होगें जिनका नाम ग्राम के आर्थिक रजिस्टर में अंकित हों।

(3) उपभोक्ता समूह के सभी सदस्य एक ही परिवार के नही होगें।

(4) (अ) सामान्य योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित समूह में न्यूनतम 2 सदस्य (लाभार्थी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होगें।

(ब) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह में न्यूनतम 51 प्रतिशत या उससे अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होगें।

(5) जल उपभोक्ता समूह के चयन हेतु ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई जायेगी तथा बैठक में ही सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपभोक्ता समूह का चयन किया जायेगा।

(6)प्रस्तावित सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु समूह के किसी एक सदस्य द्वारा कमाण्ड क्षेत्र में निःशुल्क भूमि/कूप उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि/कूप के स्वामी द्वारा भूमि/कूप को समूह के पक्ष में वैद्य शपथ पत्र द्वारा निःशुल्क हस्तान्तरित करना होगा तथा ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार के उपरान्त कूप का स्वामित्व समूह का होगा न कि किसी व्यक्ति विशेष का।

(7) प्रस्तावित भूमि/कूप में सामुदायिक ब्लास्ट कूप का निर्माण /जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकृत विभाग से भूगर्भ जल उपलब्धता की उपयुक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि सर्वेक्षण में उपयुक्त रिपोर्ट नहीं पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित समूह को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

(8) समूह के सुचारू संचालन हेतु समूह द्वारा उपविधियॉ (Bye laws) निर्धारित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा उपविधियों के अनुसार समूह द्वारा अपना एक अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जायेगा और बैंक में नियमानुसार एक संयुक्त खाता नियमित लेनदेन हेतु खोला जायेगा। बैंक खाता अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। इस खाते का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक, ईंधन के क्रय एवं कूप तथा सिंचाई सिस्टम के रखरखाव, समूह में आन्तरिक लेनदेन आदि हेतु किया जायेगा।

(9) उपभोक्ता समूह द्वारा उपविधियों का अंकन एक रजिस्टर में करना होगा सामुदायिक ब्लास्ट कूप के निर्माण/जीर्णोद्धार के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णयों के लिए समूह द्वारा मासिक एवं वार्षिक बैठक आयोजित की जायेगी उसकी कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की जायेगी।

(10) समूह द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में प्रगति प्रस्तुत करने हेतु एक वार्षिक सामान्य बैठक आहूत की जायेगी जिसमें प्रगति प्रस्तुत की जायेगी।

(11) जल उपभोक्ता समूह, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगा। यदि प्रगति असन्तोषजनक पायी जाती है तो प्रगति में संतोषजनक सुधार हेतु जनपद के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से सम्पर्क करेगा।

(ii)– प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

जल उपभोक्ता समूह की क्षमता विकास जिसमें फसलों की जानकारी, फसलचक्र, जल आवश्यकता कीट नाशक एवं खादों का प्रयोग उत्पाद का विपणन लेखा का रखरखाव तथा कूप एवं पम्पसेट व स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रयोग तथा रखरखाव के सम्बन्ध में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान है। इसके अतिरक्त कियान्वयन से सम्बन्धित विभाग के अवर अभियन्ताओं को भी प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

(iii)– ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रकिया

ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रकिया निम्नवत् प्रस्तावित है:–

1– लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजना क्षेत्र का भूगर्भ जल विभाग की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरांन्त ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हाकन किया जायेगा।

2– विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति की सहायता से जल उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसमें एस0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत पूर्व गठित समूहों को भी चयनित किया जा सकता है।

3– जल उपभोक्ता समूह कूप निर्माण स्थल को चिन्हित कर नये कूप निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निःशुल्क लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता समूहों द्वारा अर्जित/एकत्रित धनराशि से संसाधनों के संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध कर प्रस्तुत करेगा। पुराने कूप के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपभोक्ता समूह, कूप धारक जिसका अनिवार्य रूप से सदस्य होगा पुराने कूप को जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध करायेगा। उपभोक्ता समूह के अर्न्तगत विवाद की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा कूप एवं सम्बन्धित संसाधनों को अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

4– उपभोक्ता समूह,पंचायत एवं लघु सिंचाई विभाग के लिखित अनुबन्ध के उपरांन्त ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और पूर्ण होने के उपरांन्त पंचायत को सूचित करते हुए उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित किया जायेगा।

5– ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार की अवधि के अर्न्तगत विभाग द्वारा उपभोक्ता समूहों को क्षमता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv)– संचालन एवं रखरखाव

योजना पूर्ण होने के पश्चात सामुदायिक ब्लास्ट कूप उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे जिनका संचालन एवं रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व जल उपभोक्ता समूहों द्वारा वहन किया जाएगा।

(V)– अनुश्रवण

प्रोजेक्ट की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रस्तावित है:–

(1) राज्य स्तर

राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (SPIMC) का निम्नानुसार गठन किया जायेगा।

1–	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई	संयोजक
3–	सम्बन्धित मण्डलायुक्त,	सदस्य
4–	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई,	सदस्य
5–	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई,	सदस्य
6–	निदेशक, कृषि विभाग,	सदस्य
7–	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	सदस्य

(2) मण्डल स्तर

मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय प्रोजेक्ट क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (DPIMC) का गठन किया जायेगा।

1–सम्बन्धित मण्डलायुक्त,	अध्यक्ष
2–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई,	संयोजक
3–जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4–अधिशासी अभियन्ता,लघु सिचांई विभाग	सदस्य
5–संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
6–सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/खण्डीय अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग	सदस्य

(3) जनपद स्तर

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रोजेक्ट क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (DLPIMC)का गठन किया जायेगा।

1–	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–	अधिशासी अभियन्ता,लघु सिचांई विभाग	संयोजक
3–	सहायक अभियन्ता,लघु सिचांई विभाग	सदस्य
4–	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
5–	सहायक हाइड्रोलाजिस्ट,भूगर्भ जल विभाग	सदस्य

(4) ग्राम स्तर

ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन समिति (VPCC) का निम्न प्रव गठन किया जायेगा:–

1–प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष

2—अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई — संयोजक
3—बहुउद्देश्य कार्यकर्ता — सदस्य
4—जल उपभोक्ता समूह के 5 प्रतिनिधि — सदस्य
5—जल उपभोक्ता समूह के परिवार की 2 महिला प्रतिनिधि — सदस्य

उक्त सभी समितियां कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगीं तथा प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव देंगी।

2— उपर्युक्त दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0:—1328(1)/62—2—2008,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
4— समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5— समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।
6— संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास/जिला विकास अधिकारी) उ0 प्र0।
7— निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
9— राज्य योजना आयोग अनुभाग—3, उ0 प्र0 शासन।
10— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2/3
11— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2
12— निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, (श्री जमील अख्तर)।
13— विषय विशेषज्ञ, निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
14— बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।

Singh-57